Form No. III

फर्द–अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

संजय जैन बनाम **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा**

कार्यवाही अन्तर्गत :– धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)** नं0 **020** सन् **2024**

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.03.2024	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी संजय कुमार जैन पिता मिश्रीलाल जैन निवासी गोठी भवन वार्ड नंबर 8 रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 7424881275) ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा हसतगत प्रथम अपील में अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा** को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक **19.01.2024** के संबंध में **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा** द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत अपीलार्थी को संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा** द्वारा अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 6(1) प्रस्तुत आवेदन का निर्धारित समयावधि में निस्तारण नहीं किये जाने की स्थिति प्रथम अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के प्रथम अपील आवेदन दो प्रतियों में मय आवेदन शुल्क भारतीय डाक आदेश संख्या एवं पोस्टल रसीद की छाया प्रति के प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया विधि द्वारा प्रावधित किया गया है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 11.03.2024 जो कि इस न्यायालय को दिनांक 12.03.2024 को प्राप्त हुआ है के साथ अधीनस्थ **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा** को अधिनियम 2005 की	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

धारा 6(01) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 19.01.2023, की प्रति नहीं बल्कि हस्तलिपि में लिखित आवेदन है जिस पर दिनांक 18.01.2024 अंकित है, जबकि अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में आवेदन दिनांक 19.01.2024 अवगत कराया गया है, मूल आवेदन की छाया प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है तथा आवेदन शुल्क एवं पोस्टल रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है जो कि प्रथम अपील ग्रहण किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेजात है। ऐसी स्थिति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील आवेदन ग्रहण किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील इन निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाता है कि अपीलार्थी अधीनस्थ **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा** को अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 19.01.2024 की छाया प्रति के साथ सुपाठ्य एवं स्पष्ट पोस्टल रसीद की प्रति के साथ नवीन प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत करावें।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील आवेदन ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से निस्तारित किया जाता है। अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर अभिलेख में उक्तानुसार अंकन किया जावें। अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें।

-S/D-
(आलोक रंजन)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़
18.03.2024

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official